रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 63] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 13, 2019/माघ 24, 1940
No. 63] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 13, 2019/MAGHA 24, 1940

वास्तुकला परिषद्

(वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के तहत गठित सांविधिक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2019

फा. सं. सीए/12/2019/विनियम.—वास्तुविद् अधिनियम, 1972 (1972 का 20 वां) की धारा 21 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 45 की उपधारा (2) के खंड (ई), (जी), (एच), और (जे) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से वास्तुकला परिषद् एतद्द्वारा वास्तुकला परिषद (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 1983, जो भारत के राजपत्र के भाग III, खण्ड 4 में दिनांक 26 मार्च, 1983, को प्रकाशित हुए हैं में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात :–

1. (1) इन विनियमों का नाम वास्तुकला परिषद (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2019 होगा।

   (2) ये राजपत्र में इस प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. वास्तुकला परिषद (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 1983 के विनियम 4 के उपविनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात :–

   (1) कोई भी अभ्यर्थी जिसने 10+2 परीक्षा प्रणाली में भौतिकी, रसायन शास्त्र तथा गणित विषयों में कम से कम कुल 50 प्रतिशत अंक तथा 10+2 परीक्षा प्रणाली में कुल प्राप्तांक कम से कम 50 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण न की हो अथवा 10+3 डिप्लोमा परीक्षा गणित अनिवार्य विषय एवं कुल प्राप्तांक कम से कम 50 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण न की हो, को वास्तुकला पाठयक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

पाद टिप्पणी : मूल विनियम दिनांक 26 मार्च, 1983, को राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा बाद में संशोधित हुए तथा दिनांक (1) 27 अगस्त 1983, (2) 7 जनवरी 2006, (3) 19 मई 2017 को राजपत्र में प्रकाशित हुए।

राज कुमार ओबराय, रजिस्ट्रार

[विज्ञापन-III/4/असा./539/18]

COUNCIL OF ARCHITECTURE

(STATUTORY AUTHORITY CONSTITUTED UNDER THE ARCHITECTS ACT, 1972)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2019

F. No. CA/12/2019/Regulations.—In exercise of powers conferred by clauses (e), (g), (h), and (j) of sub-section (2) of Section 45 read with Section 21 of the Architects Act, 1972 (20 of 1972), the Council of Architecture, with the approval of the Central Government, hereby makes the following Regulations further to amend the Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) Regulations, 1983, the same having been published in the Gazette of India, Part-III-Section-4 dated the 26th March, 1983, namely:-

1. (1) These Regulations may be called the Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) (Amendment) Regulations, 2019.

   (2) They shall come into force from the date of this publication in the Official Gazette.

2. In the Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) Regulations, 1983, in Regulation 4, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

   "(1) No candidate shall be admitted to architecture course unless she/ he has passed an examination at the end of the 10+2 scheme of examination with at least 50% aggregate marks in Physics, Chemistry & Mathematics and also at least 50% marks in aggregate of the 10+2 level examination or passed 10+3 Diploma Examination with Mathematics as compulsory subject with at least 50% marks in aggregate."

Footnote : The principal Regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4, dated the 26th March, 1983 and subsequently amended and published in the Gazette of India (i) dated the 27th August, 1983, (ii) dated the 7th January, 2006, (iii) dated the 29th May, 2017.

RAJ KUMAR OBEROI, Registrar

[ADVT.III/4/Exty. /539/18]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.02.13 19:14:22 +05'30'